न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

रामपत पुत्र लाधुराम जाति जाट आयु 78 वर्ष निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। **––अपीलाण्ट**

बनाम

1. खिराज पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनफूल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.02.2022 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा प्रकरण संख्या–11/2021 बअनवानी रामपत बनाम मनफूल के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–29.09.2022**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है प्रार्थी की उम्र तकरीबन 78 वर्ष है एवं वर्तमान में प्रार्थी का आय का जरिया नहीं है अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र है। गांव राखी में एक रिहायशी मकान एवं राखी व डुंगराना में कृषि भूमि है। उक्त मकान प्रार्थी/अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पति है, जो प्रार्थी के कब्जे में है व रिहायश कर रहा है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट मकान व जमीन से प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी अपीलान्ट के पास इस मकान के अलावा रहने का कोई मकान नहीं है। प्रार्थी अपीलान्ट वृद्धावस्था एवं बीमार होने के कारण खेती कार्य करने में सक्षम नहीं है, अप्रार्थी अपीलान्ट को अपनी कृषि भूमि काश्त करने नहीं देते व ना ही भूमि पर केसीसी बनाने देते। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपीलान्ट के साथ रोज मारपीट व गाली गलोच करते है। अप्रार्थी के पास गांव राखी व डुगराना में कृषि भूमि है, जो प्रार्थी अपीलान्ट ने खरीद कर दे रखी है, उन उक्त दोनों जगहों की कृषि भूमि से अप्रार्थी को 5,00,000/–रूपये सालाना आय होती है, इसलिए प्रार्थी/अपीलान्ट अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट से भरण–पोषण हेतु 15000/–रूपये प्रतिमाह प्राप्ति का अधिकारी है, को पूर्ण स्वीकार ना कर आदेश पारित किया है, जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है– अपीलाधीन निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अनदेखा कर प्रार्थी द्वारा स्वअर्जीत मकान व कृषि भूमि की बिना रिपोर्ट लिये निर्णय पारित किया है, इस पर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट इस निर्णय की आड़ में प्रार्थी अपीलान्ट की कृषि भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि से खदेड़ने की फिराक में है। अपीलाधीन निर्णय पारित होने हो जाने की वजह से रेस्पोडेन्ट नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि पर नाजायज रूप से काबिज होकर काश्त कर अपीलान्टस के हक व अधिकारों को छीनना चाहते है। उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट के अधिकारों के विपरीत अपीलांटस के हक व हिस्सा की भूमि का उपयोग, उपभोग करने से बाधित होने से सम्बन्धित होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट के पास आय का अब कोई साधन नहीं है, अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पास गांव राखी व डुगराना में कृषि भूमि है जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने खरीद कर दे रखी है उक्त दोनो कृषि भूमि से प्रार्थी को 5 लाख रूपये सालाना आय होती है, इसके अलावा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट का पुत्र ट्रांसपोर्ट पर नौकरी करता है, जिससे करीब 40000/–रूपये मासिक आय

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

होती है, इसलिए प्रार्थी/अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट से भरण–पोषण हेतु 15000/–रूपये राशि प्रतिमाह प्राप्ति का अधिकारी है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्व तरीके से निर्णय पारित कर अयोग्य घोषित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट का गांव राखी में स्वअर्जित मकान से अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जाने, अपीलाण्ट को उसकी भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित नहीं किये जाने एवं अपीलाण्ट को 15,000/– मासिक भरण–पोषण के रूप में रेस्पोडेन्ट से दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट स्वयं एवं रेस्पोडेन्ट सं. 01 जरिये न्याय मित्र श्री नवीन कुमार मोदी, रेस्पोडेन्ट सं. 02 स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलांट ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पास गांव राखी में एक रिहायशी मकान एवं राखी व डुंगराना में कृषि भूमि है। कृषि भूमि में से अपीलाण्ट द्वारा अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट कर दे रखी है। उक्त मकान अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पति है, जो अपीलान्ट के कब्जे में है व रिहायश कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 मकान व जमीन से अपीलान्ट को बेदखल करना चाहता है। अपीलान्ट के पास इस मकान के अलावा रहने का कोई मकान नहीं है और न ही अपीलान्ट के पास आय का कोई अन्य साधन है। अपीलान्ट वृद्धावस्था एवं बीमार होने के कारण खेती कार्य करने में सक्षम नहीं है, रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपीलान्ट को अपनी कृषि भूमि काश्त करने नहीं देता व ना ही भूमि पर केसीसी बनाने देता। रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपीलान्ट के साथ रोज मारपीट व गाली गलोच करते है। अपीलाधीन निर्णय पारित होने हो जाने की वजह से रेस्पोडेन्ट नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि पर नाजायज रूप से काबिज होकर काश्त कर अपीलान्टस के हक व अधिकारों को छीनना चाहते है। अपीलाण्ट का गांव राखी में स्वअर्जित मकान से अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जाने, अपीलाण्ट को उसकी भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित नहीं किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को उचित भरण–पोषण के रूप में रेस्पोडेन्टस से दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्ट ने जरिये न्यायमित्र उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पास रोही राखी में स्थित 40 बीघा कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें से अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्टस का 1/3–1/3 हिस्सा है जिसमें से अपीलाण्ट अपने हिस्से की 13 बीघा पुस्तेनी कृषि भूमि व रोही डूंगराना में 8 बीघा कृषि भूमि स्वअर्जित है जो अपीलाण्ट स्वयं ही काश्त करता है। इसलिए अपीलाण्ट को अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम है। मुझ अप्रार्थी ने अपीलाण्ट को न तो कोई धमकी दी है ओर न ही बेदखल करने को कहा है। अप्रार्थी खिराज को अलग हुए 25 साल हो गये है तब से अप्रार्थी अलग ही रह रहा है। अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 के साथ रहता है और उसके हिस्से की कृषि भूमि भी रेस्पोडेन्ट सं. 02 ही काश्त करता है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज फरमाई जावे।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष को भली–भांति समझाईश की गई। अपीलांट द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के विरूद्व भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के स्वअर्जित मकान से बेदखल नहीं किये जाने, अपीलाण्ट को उसकी भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित नहीं किये जाने एवं अपीलाण्ट को 15,000/– मासिक भरण–पोषण के रूप में रेस्पोडेन्ट से दिलाये का अनुतोष चाहा गया है। अपील में विचारणीय बिन्दु है कि अपीलाण्ट स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम है या नहीं। दूसरा उसके स्वअर्जित मकान व कृषि भूमि के साथ–साथ उसके हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग करने से वंचित किया जाना। स्वयं अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपीलाण्ट के हिस्से की 13 बीघा पुस्तेनी कृषि भूमि व रोही डूंगराना में 8 बीघा कृषि भूमि स्वअर्जित होना और अपीलाण्ट द्वारा स्वयं ही काश्त करना स्वीकार की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्वयं का

भरण–पोषण करने में सक्षम है। दूसरा अपीलाण्ट द्वारा अपने स्वअर्जित मकान में रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा बेदखल करना, मारपीट करना व गाली गलोच कर दैनिक जीवन में शान्तिपूर्वक नहीं रहने देने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट सं. 01 के कथनानुसार उसे अपीलाण्ट से अलग हुए 25 साल हो गये है तब से अप्रार्थी अलग ही रह रहा है और अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 के साथ रहता है और उसके हिस्से की कृषि भूमि भी रेस्पोडेन्ट सं. 02 ही काश्त करता है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 के अपीलाण्ट से अलग रहने की बात अपीलाण्ट द्वारा स्वीकार की है। उक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पास भरण–पोषण हेतु पर्याप्त संसाधन कृषि भूमि है और आवास व मूलभूत सुविधाओं हेतु स्वयं का मकान है जिसमें वह अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 02 के साथ रहता है। इसलिए अपीलाण्ट को भरण–पोषण के लिए कोई मासिक भत्ते की आवयश्कता नहीं होने पर यह अपील खारिज़ योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2022 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़